

एक बात कहना चाहता हूँ। आज पांच क्वेश्चन्स लिए गए, इस प्रकार 12 मिनट में एक सवाल हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपत्ति नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब करते हैं तो मुश्किल पेश आती है, क्या करें। आपके सामने होता है। मैंने चार-चार सप्लीमेंट्री एलाउ किए हैं। इसके ज्यादा नहीं किया है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : स्कूटर की धांधले-बाजी के सम्बन्ध में क्वेश्चन नं० 441 इतना बड़ा सवाल था, लेकिन इसको जान-बूझकर रोका गया।... (व्यवधान)...

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Sir, I want to bring to your notice one fact. Day before yesterday, you had kept one ruling pending.

While I was speaking, Mr. Frank Anthony raised a point of order and he said, in regard to a judgment of Justice Mishra which I had quoted, that he had obtained a stay from the Supreme Court. I have made an enquiry. No doubt, the stay is given, but when a stay is given, only further action is suspended. The judgment stands where it is.

I have a right to quote the judgment. Don't expunge it. Otherwise, when I quote the judgment, the Press will come into troubles. You have not to expunge it. You should not expunge it.

MR. SPEAKER : I will look into it. I will find out the exact position. Then I will do it.

SHRI FRANK ANTHONY (Nominated Anglo-Indians) : I have written to you yesterday. I have also given a copy of the judgment to you. I have enclosed also the SLP—the whole criticism of the judgment.

MR. SPEAKER : I have got it. I have received it. Thank you very much, Mr. Anthony.

श्री रामविलास पासवान(हाजीपुर) : क्या कोई मेम्बर जो बाहर पैसा लेकर वकालत करते हैं, उसी चीज को यहां रेफर कर सकते हैं? उनको पहले रिजाइन करना चाहिये, इन तरह से रेफर करने का कोई अधिकार नहीं है।

MR. SPEAKER : It is not a point of Order. No, no. No question.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : By taking money outside, he is pleading the case here. He should resign.

12.17 hrs.

CONSTITUTION (FIFTY-THIRD) AMENDMENT BILL*

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.V. NARASIMHA RAO) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. SPEAKER : The question is :

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

SHRI P.V. NARASIMHA RAO : I introduce the Bill.

MATTERS UNDER RULE 377

- (i) Non-payment of bonus by Sri Synthetics Ltd., Ujjain and need for Government's intervention into its working

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों और कृत्रिम रेशे निर्मित करने वाले कारखानों में काम करने वाले लोगों का भविष्य अनिश्चित है। इन्दौर का होप टैक्सटाइल्स मिल्स विगत काफी समय से बन्द है और इसके कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गये हैं। उज्जैन के कपड़ा

[श्री सत्यनारायण जटिया]

मिलों की स्थिति भी ठीक नहीं है। विनोद और बिमल टैक्सटाइल मिल्स के 362 सेवा निवृत्त कर्मचारियों की भविष्य निधि 17 लाख 72 हजार का भुगतान अब तक नहीं किया गया है।

सिंथेटिक पालिस्टर और नायलोन यार्न के उत्पादक श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड, उज्जैन ने कर्मचारियों को वर्ष 1982-83 के बोनस की अदायगी नहीं की है। कारखाने ने एक जुलाई, 1982 से 30 जून, 1983 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष में 114.65 लाख रूपयों का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया है। प्रबन्धक "नोटिस आफ चेन्ज" दिये बिना ही बोनस अदायगी के साथ "वर्कलोड" की 95 शर्तों को जोड़ने के लिये आमादा हैं और मजदूरों को बोनस नहीं देना चाहते हैं। विगत 1979-80, 1980-81, 1981-82 के वर्षों में न्यूनतम बोनस पर "एक्सग्रेसिया" दिया गया है जबकि कानूनन अधिकतम बोनस पर "एक्सग्रेसिया" दिया जाना चाहिये। वर्ष 1982-83 की बैलेंस-शीट में 1393.08 लाख का "डिप्रीसियेशन" दर्शाया गया है जबकि कारखाने की स्थापना लागत 10 करोड़ रुपये है। वर्ष 1982-83 में कर्मचारियों के "वेलफेयर" की मद में 23.67 लाख व्यय दर्शाया गया है किन्तु कर्मचारियों के लिए उक्त राशि व्यय नहीं की गई है।

अतएव केन्द्र सरकार उक्त स्थितियों में देश में और मध्य प्रदेश में उक्त उद्योगों में कार्यरत हजारों श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिये इन्दौर के होप टैक्सटाइल्स को शीघ्र प्रारम्भ करे। उज्जैन की टैक्सटाइल्स मिलों की वर्तमान स्थिति में सुधार करे। सेवा निवृत्त श्रमिकों को भविष्य निधि का भुगतान करे तथा श्री सिंथेटिक्स के कर्मचारियों को तत्काल कानूनन बोनस भुगतान करने के निर्देश प्रदान करे।

(ii) Need to start air service between
Delhi-Khajuraho-Aurangabad-Bhopal-
Bombay

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश देश का सबसे विशाल प्रदेश है

तथा केन्द्र सरकार ने प्रदेश में पर्यटन विकास के लिये 14 प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक केन्द्रों का चयन किया है परन्तु पर्यटकों को आवागमन की पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण अधिक संख्या में पर्यटक इन स्थलों का भ्रमण नहीं कर पाते हैं। विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश शासन एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा बम्बई, औरंगाबाद, भोपाल, खजुराहो एवं दिल्ली के बीच एक नई वायु सेवा प्रारम्भ करने की मांग की जा रही है।

इन्डियन एयर लाइन्स द्वारा पूर्व में बम्बई, औरंगाबाद, नागपुर, खजुराहो वायुसेवा 7 महीनों के लिए शुरू की गई थी परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्व प्रचार-प्रसार न होने के कारण वायुसेवा लाभप्रद नहीं हुई और उसे बन्द करना पड़ा।

केन्द्र एवं मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन-प्रोत्साहन के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। यदि मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना है तो यहां उक्त वायुसेवा को अतिशीघ्र प्रारम्भ करना आवश्यक है ताकि दिल्ली से आने वाले पर्यटक खजुराहो देखने के पश्चात् सांची एवं मांडू का भ्रमण कर बम्बई जा सकें। अतः केन्द्रीय नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध है कि दिल्ली, खजुराहो, भोपाल, औरंगाबाद एवं बम्बई के बीच नई वायुसेवा के संचालन हेतु त्वरित कार्यवाही करें।

12.21 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

(iii) Need to develop alternative sources of energy for boosting afforestation schemes in the country, especially in the Aravali hills range

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के तहत देश के सबसे वयोवृद्ध पर्वत अरावली पर आये गम्भीर संकट की तरफ कृषि मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। इस पर्वत का अधिकांश भाग राजस्थान के हिस्से में है। राजस्थान में देश की 10 प्रतिशत भूमि है पर दुर्भाग्य से देश में पानी का केवल 1 प्रतिशत भाग वहां है। इसलिए बूंद-बूंद जल वहां